प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 99/2023 (2023/)

1. भैरूलाल पुत्र रामकिशन
2. नानी देवी पत्नि रामकिशन
3. शिवराज पुत्र रामकिशन
4. दुर्गालाल पुत्र रामकिशन
5. दुर्गा देवी पुत्री रामकिशन

समस्त जाति धाकड, निवासीगण कावरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर ---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. श्रीमान तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर --अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक 14.06.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प सलारी में प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता पेश की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
98–75	527	0.35	बारानी 1
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.35 हैक्टर	

प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी संख्या 2 के पति व 3 लगायत 4 के पिता रामकिशन पुत्र कल्याण खातेदार काश्तकार थे। रामकिशन का स्वर्गवास दिनांक 17.01.2023 को हो चुका है जिसका विरासत का नामन्तकरण संख्या 604 दिनांक 16.02.2023 का नामन्तकरण प्रक्रियाधीन है। रामकिशन के स्वर्गवास होने के बाद से ही वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त स्वामित्व आधिपत्य चला आ रहा है व प्रार्थीगण की पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण के लगवा पडोसी है जिनके एवं प्रार्थीगण की उक्त आराजी के मध्य स्थायी सीमाचिन्ह नही होने के कारण आये दिन लडाई झगडा एवं मनमुटाव रहता है। दिनांक 17.03.2023 को पडोसी द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि पर यानि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर घुसकर जबरन कब्जा करना चाहते है, मना करने पर एलानिया धमकियां देने लगे। प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया लेकिन आराजी के पडोसी नही माने जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। स्थायी सीमा चिन्ह नही बनाये जाते है तो प्रार्थीगण को अजहद व अपूर्णीय क्षति होगी, प्रार्थीगण को अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी से वंचित होना पडेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी दौराने केम्प मौके पर उपस्थित। पैरोकार सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण के पिता रामकिशन पुत्र कल्याण की खातेदारी में है तथा जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पक्ष में विरासत नामान्तकरण संख्या 604 दिनांक 16.02.2023 के प्रक्रियाधीन का नोट अंकित है जिससे प्रार्थीगण को स्वयं की आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम काबरिया तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया–पुराना 98–75 में दर्ज खसरा नम्बर 527 रकबा 0.35 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प सलारी में मजमे आम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी केकडी

शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
एवं मंहगाई राहत शिविर

Scanned with OKEN Scanner